

# संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश

(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

## विज्ञापन

**बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष शिक्षण सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण का काउंसलिंग कार्यक्रम**

व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी पाहुंट-2016 के परीक्षा परिणामों पर निर्मित मेरिट/प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रदेश के शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय, जिन्हें भारत सरकार के आयुष विभाग व प्रदेश शासन से मान्यता/प्रवेशानुमति व क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हो चुकी है, उनमें प्रवेश हेतु आनलाईन काउंसलिंग **mponline** (द्वितीय चरण) के माध्यम से संपन्न होगी। द्वितीय चरण की आनलाईन काउंसलिंग शेड्यूल निम्नानुसार है:-

स.क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	पंजीयन	दिनांक 07.11.16 से दिनांक 09.11.16 सायं 05.00 बजे तक
2.	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 07.11.16 से दिनांक 09.11.16 सायं 05.00 बजे तक
3.	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 08.11.16 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 09.11.16 रात 11.59 बजे तक
4.	सीट आवंटन	दिनांक 15.11.16
5.	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि	दिनांक 16.11.16 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 18.11.16 तक

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित काउंसलिंग शेड्यूल अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उक्त काउंसलिंग में भारत शासन आयुष मंत्रालय से अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है। भारत शासन आयुष मंत्रालय में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को भारत शासन आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर पाहुंट नियम-2016 की कंडिका-13 अनुसार काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- 3- जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 18.10.16 से 29.10.16 तक में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, वे भी पाहुंट प्रवेश नियम-2016 की कंडिका 7.3 एवं 7.4 अनुसार प्रवेश निरस्त कराकर इस काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित महाविद्यालयों / पाठ्यक्रमों में अपनी स्वेच्छा/प्राथमिकता अनुसार च्वाईस फिलिंग कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- 4- नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए पाहुंट प्रवेश नियम-2016 देखें जो व्यापम की वेबसाइट [www.vypam.nic.in](http://www.vypam.nic.in), [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 5- विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय, आयुष, की वेबसाइट [www.ayush.mp.gov.in](http://www.ayush.mp.gov.in) एवं [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

प्र०  संचालक  
संचालनालय आयुष म.प्र.